राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये वेतनमान रू0 22400—24500 के लिये दिनांक 01—1—2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड—4 (37400—67000) ग्रेड वेतन रू0 12000/— के स्थान पर वेतनमान रू0 67000—वार्षिक वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत की दर से—79000 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियां :—

छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वेतनमान रू0 22400—24500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड—4 (37400—67000) ग्रेड वेतन रू0 12000/—स्वीकृत किया गया। वेतन समिति द्वारा राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये की गयी संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भी वेतनमान रू0 22400—24500 के लिये दिनांक 01—1—2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड—4 (37400—67000) ग्रेड वेतन रू0 12000/—स्वीकृत किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या—फा.सं.1/1/2008—आई.सी. दिनांक 21 जुलाई, 2009 द्वारा वेतनमान रू0 22000—24500 के लिये एच0ए0जी0 वेतनमान रू0 67000—79000 स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न वर्गों के उक्त वेतनमान के अधिकारियों के लिये वेतनमान रू0 22400—24500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमान रू0 67000—वार्षिक वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत की दर से —79000 स्वीकृत करने के विषय पर संस्तुति देने हेतु वेतन समिति को विशिष्ट प्रकरण के रूप में वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या—वे0आ0—2—1537/दस—2009 दिनांक 18 नवम्बर, 2009 द्वारा संदर्भित किया गया।

2— वेतन समिति द्वारा उक्त संदर्भित प्रकरण पर सम्यक रूप से विचार किया गया और यह पाया गया कि छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में जो वेतनमान सामान्य रूप से स्वीकृत किये गये हैं, वेतन समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा भी वही वेतनमान राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये स्वीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व वेतनमान रू0 22400—24500 के लिये छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड—4 (37400—67000) ग्रेड वेतन रू0 12000/— स्वीकृत किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय दिनांक 21 जुलाई, 2009 द्वारा पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 22400—24500 के लिये नया एच.ए.जी. वेतनमान रू0 67000—वार्षिक वेतन

वृद्धि 3 प्रतिशत की दर से –79000 स्वीकृत किया गया है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व वेतनमान रू0 22400–24500 के लिये एच0ए0जी0 वेतनमान रू0 67000–79000 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से ही लागू किया गया है। ऐसी परिस्थिति में राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये पूर्व वेतनमान रू0 22400–24500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से ही एच.ए.जी. वेतनमान रू0 67000–वार्षिक वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत की दर से –79000 स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य है।

समिति की संस्तुतियां

3– सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुति है कि राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 22400–24500 के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4 (37400–67000), ग्रेड वेतन रू0 12000 के स्थान पर वेतनमान रू0 67000–वार्षिक वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत की दर से –79000 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से ही स्वीकृत किया जाये।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव

(बी0एन0दीक्षित)
सदस्य

(आलोक रंजन)
सदस्य

(एस0ए0टी0रिज़वी)
अध्यक्ष वेतन समिति